माननीय प्रबन्ध परिषद की 17 वीं बैठक दिनांक 01.11.2010 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 17 वीं बैठक दिनांक 01.11.2010 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय , मेरठ के कृषि महाविद्यालय मे स्थित सभा कक्ष में सम्पन्न हुई ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी ।

1	डा0 अरविन्द कुमार वख्शी , कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री हरे नारायण शुक्ल ,मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेशन ,	सदस्य
3	श्री एम0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक ,कृषि, मेरठ नामित सदस्य कृषि निदेशक ,उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	डा0 बी0एन0 शुक्ला क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी , मेरठ ,नामित सदस्य प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा	सदस्य
5	डा0 आर0 के0 मित्तल ,ए0डी0 जी0, आई0सी0ए0आर0,नई दिल्ली	सदस्य
6	श्रीमती उर्मिला देवी, सामाजिक महिला कार्यकत्री	सदस्य
7	श्री सतीश कुमार उर्फ सुधीर त्यागी , कृषि उद्योगपति	सदस्य
8	डा0 राजेश सिंह , उप निदेशक पशुपालन, नामित सदस्य निदेशक पशुपालन	सदस्य
9	श्री ज्ञान सिंह , वित्त नियन्त्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए माननीय कुलपति / अध्यक्ष ने सर्व प्रथम माननीय सदस्य श्री शाहिद मंजूर , माननीय विधायक का पत्र दिनांक 31. 10.2010 पढ़कर माननीय सदस्यों को उनके विचारों से अवगत कराया । इस पर और एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं निर्णय करने के लिए सहमति चाही गयी तद्परान्त सर्व सहमति से माननीय प्रबन्ध परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी ।

संकल्प सं.01 **विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दिनॉक 20 नवम्बर, 2010 को तृतीय दीक्षांत समारोह में डा0 एस0 अय्यपन्न, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को विज्ञान वारिधि की मानद उपाधि दिये जाने हेतु प्रस्ताव।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं चर्चा के दौरान माननीय सदस्या श्रीमती उर्मिला देवी ने यह जानकारी चाही कि डा0 एस0 अय्यपन्न, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के लिए उनके द्वारा क्या योगदान दिया गया उक्त के सम्बन्ध में माननीय कुलपति / अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि लगभग 40 प्रतिशत का अनुदान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त होती है जिससे विश्वविद्यालय के विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहायता होती है । उनके द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्राप्त ख्याति एवं योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह उपाधि दिये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है । जिसका सर्मथन डा0 आर0 के0 मित्तल ,ए0डी0 जी0, आई0 सी0ए0 आर0, नई दिल्ली द्वारा किया गया । उक्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही --कुल सचिव)

संकल्प सं0 2 माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31.07..2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31.07.2010 का कार्यवृत्त के पुष्टि विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रा संख्या 2112/67–कृशिअ–10–500 (09)/10 दिनांक 19 अगस्त, 2010 (संलग्नक छाया प्रति) द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31. 07.10 के कार्यवृत्त के संकल्प संख्या –17 , संकल्प संख्या– 26 संकल्प संख्या– 27 –अ एवं संकल्प सं0 27 –द पर आपत्ति दर्ज की गयी है । शेष संकल्पों पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । अतएव शेष संकल्पों की पुष्टि सर्व सम्मति से की गयी ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 3 माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31.07.2010 में पारित संकल्पों की अनुपालन आख्या ।

अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्न संकल्पों पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निम्नवत् विचार व्यक्त किया गया ।

संकल्प सं0 6 मा0 प्रबन्ध परिषद की दिनांक 16.10.2008 को सम्पन्न हुई त्रयोदश बैठक में संकल्प संख्या 5 पर लिये गये निर्णयानुसार पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वैटरनरी कालेज मथुरा एवं वी0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप एवं शिक्षणेत्तर पदों की योग्यता एवं अर्हताओं के अनुमोदन का प्रस्ताव

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि यू0जी0 सी0 /आई0सी0ए0 आर / छठे वेतन आयोंग के संस्तुतियों के आधार पर दिये गये मानकों एवं उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या वे. आ.–2–2058/ दस – 54 (एम)/2008 टी.सी दिनांक 8 सितम्बर 2008 के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में रखा जाय ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 9 कृषि विज्ञान केन्द्र बघरा (मुजफ्फरनगर) पर कार्यरत श्री संजीव कुमार (प्रशिक्षण सहायक) द्वारा 286 दिन के चिकित्सा अवकाश अवैतनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर पुन : चर्चा के समय डा0 आर0 के0 मित्तल ,ए0डी0 जी0 आई0 सी0ए0 आर0, नई दिल्ली द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि उक्त पर डा0 ओ0 पी0 सिंह, निदेशक प्रसार, को जॉच अधिकारी नियुक्त करते हुए आरोप पत्र निर्गत कर विभागीय कार्यवाही की जाय। जिसका अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी / निदेशक प्रसार)

संकल्प सं011 : सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में शिक्षकों/समकक्ष पदों पर कार्यरत वैज्ञानिकों की वरिष्ठता के संबंध में।

प्रकरण पर डा0 आर0 के0 मित्तल ,ए0डी0 जी0,आई0 सी0ए0 आर0, नई दिल्ली द्वारा समिति के पूनर्गठन किये जाने का सुझाव दिया गया और प्रस्ताव किया गया कि पूर्व गठित समिति में सदस्यों के अतिरिक्त दो सदस्य विशेषज्ञ (दूसरे

विश्वविद्यालय के कुल सचिव), एक सदस्य उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और एक सदस्य , डा0 सोढी सिंह, उप सचिव, सेवानिवृत्त को सम्मलित किया जाय । समिति का गठन निम्नवत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

1.	कुलपति	अध्यक्ष
2.	कुल सचिव , कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	सदस्य
3	दो सदस्य विशेषज्ञ , (दूसरे विश्वविद्यालय के कुल सचिव)	सदस्य
4	एक सदस्य उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	डा0 सोढी सिंह, उप सचिव, सेवानिवृत्त	सदस्य
6	मुख्य कार्मिक अधिकारी ,कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	सदस्य /सचिव

(कार्यवाही– मुख्य कर्मिक अधिकारी)

संकल्प सं013.विश्वविद्यालय द्वारा पदों के विज्ञापन में विज्ञापित पदों के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी से आवेदन शुल्क प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

विचार विर्मश के उपरान्त सर्व सम्मति निर्णय लिया गया कि विज्ञापन विश्वविद्यालय के वेवसाइट पर डाला जाय और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित दो हिन्दी एवं दो अंग्रजी के समाचार पत्रों में विज्ञापन कराया जाय विज्ञापन की प्रति माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाय।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 26 : कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर (उत्तराखण्ड) में लागू नियम–परिनियम को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के नियम – परिनियम अनुमोदन होने तक लागू करने के संबंध में।

विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 2112/67–कृशिअ–10–500 (09)/10 दिनांक 19 अगस्त, 2010 द्वारा माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक दिनांक 31.07.10 के आपत्ति पर चर्चा हुई और सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आगे से कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में लागू नियम–परिनियम को माना जाय एवं इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन एवं महामहिम कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली जाय । कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के नियम –परिनियम लागू करने का अनुमोदन प्राप्त होने तक पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी । शीघ्र सरदार सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के नियम –परिनियम तैयार कर लिया जाय।

(कार्यवाही –कुल सचिव)

संकल्प सं. 04 कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत शिक्षकों/समकक्षों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स/सिम्पोजियम में भाग लेने हेतु नियम एवं शर्तो के सम्बंध में।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही –कुल सचिव / मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 5 डिप्लोमा कोर्स का पुनः नामकरण । (Re-naming of Diploma courses) के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई माननीय कुलपति जी / अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय के पत्र संख्या F.No.5-13/2010-HRD/489 दिनांक22.9.2010 के अनुसार प्रस्तावित वेकरी टेक्नोलोजी कोर्स वर्तमान योजना से अच्छादित नहीं है। इसलिए प्रस्तावति कोर्स के नाम को बदलकर (1)डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलाजी – वेकरी प्रोडेक्ट (2) डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलाजी – फ्रूट एण्ड वेजटेविल प्रोडक्ट कर दिया जाय तद्नुसार डिप्लोमा कोर्स के नाम परिर्वतन करने का अनुमोदन विद्वत परिषद से प्राप्त कर लिया गया है । माननीय प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अगामी बैठक में रखा जाय ।

(कार्यवाही –कुल सचिव / प्रों0 शमशेर)

संकल्प सं0 6 उ0 प्र0 शासन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के शासनादेश संख्या 2631/67–कृ0शि0अनु0–10–1500 (16) /09 दिनांक 21.09.2010 के द्वारा (संलग्नो सहित) सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराने हेतु उक्त शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से शासनादेशों के प्रावधानों को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया और यह भी अनुमोदित किया गया कि उक्त शासनादेशों को लागू करने में यू0 जी0 सी0 /आई0सी0ए0 आर क मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 7 माननीय प्रबन्ध परिषद की 16 वीं बैठक की संकल्प संख्या 16 में दिये गये अनुमोदन के अतिरिक्त प्रस्ताव का अनुमोदन ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही –कुल सचिव / मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 8 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को माननीय प्रबन्ध परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

संकल्प सं0 –9 अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

अ– शासनादेश संख्या 2746/67–कृशिअ–10–1500(63)/06 दिनांक 29 अक्टूबर ,2010 के द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ,गोमती नगर, लखनऊ को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही – मुख्य कार्मिक अधिकारी)

ब– **शासनादेश संख्या 2755/67–कृशिअ–10–1500(63)/06 दिनांक 29 अक्टूबर , 2010 के द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षणेत्तर कार्मियों के 40 प्रतिशत एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर चर्चा हुई विचार विर्मश के उपरान्त प्रस्ताव का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया ।

(कार्यवाही –वित्त नियन्त्रक)

अन्त में सचिव माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया । तद्नुसार बैठक सम्पन्न हुई ।

(ज्ञान सिंह)
वित्त नियन्त्रक / सचिव प्रबन्ध परिषद

अनुमोदित
02/11/2010
(अरविन्द कुमार वख्शी)
कुलपति /अध्यक्ष